राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 45/2018

1. रोहिताश्व आयु 52 वर्ष
2. बिहारीलाल आयु 50 वर्ष
3. क्षत्रपाल आयु 39 वष
4. ओमप्रकाश आयु 36 वर्ष पुत्रान स्व. घीसा जाति गुर्जर निवासीगण रवां तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

ब–ना–म

1. उमराव पुत्र श्री बीरबल (मृतक)

1/1 मनभरी देवी पत्नी स्व. उमराव आयु 75 वर्ष
1/2 कृष्ण कुमार पुत्र स्व. उमराव आयु 40 वर्ष
1/3 श्योपाल पुत्र स्व. उमराव आयु 38 वर्ष
1/4 हनुमान पुत्र स्व. उमराव आयु 34 वर्ष
1/5 मुकेश पुत्र स्व. उमराव आयु 26 वर्ष समस्त जाति गुर्जर निवासीगण रंवा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
1/6 माया पुत्री स्व. उमराव पत्नी भागीरथ आयु 45 वर्ष
1/7 सन्तोष पुत्री स्व. उमराव पत्नी सेडूराम आयु 42 वर्ष
1/8 कौशल्या पुत्री स्व. उमराव पत्नी माडूराम आयु 32 वर्ष समस्त जाति गुर्जर निवासीगण माधोगढ़ तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
1/9 शारदा उर्फ छोटा देवी पुत्री स्व. उमराव पत्नी श्री रामनिवास आयु 24 वर्ष जाति गुर्जर निवासी हिराकावाली ढाणी तह0 नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
1/10 मनीषा पुत्री स्व. उमराव पत्नी जितेन्द्र आयु 26 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढाणी सांखड़ा की तन बड़ाऊ तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

2. हरिसिंह आयु 65 वर्ष
3. शेर सिंह आयु 60 वर्ष पुत्रान बीरबल जाति गुर्जर निवासीगण रंवा तह0 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. भूमि धारक जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:19 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक 02–11–2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस [illegible] –02–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम गणेश[illegible]ा तहसील खेतड़ी [illegible] झुन्झुनूं

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

अभिलस्है।

राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2070 लगायत 2073 के खाता सं. 3 के खसरा नंवर 439, 440 कुल किता 2 कुल रकबा 2.55 है. में वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/2388 दिनांक 15.09.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–3'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–''ब'' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:19 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
...न सहायक कलक्टर, खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि!

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

रोहिताश्व आदि

ब–ना–म

उमराव आदि

ावा बाबत **खाता विभाजन**

ुकदमा नम्बर :– **45/2018**

निर्णय दिनांक :– **02–11–2022**

वादीगण की ओर से **श्री कृष्णकुमार वर्मा एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से .... क्री उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02–11–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–3" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15–09–2021 (प्रदर्श–"अ–1 लगा. अ–3" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **02–11–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.10 16:34:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner